न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।

अतिक्रमण अपील वाद सं0--10/2005--06

पंकज सिन्हा वगैरह बनाम राज्य एवं विन्देश्वर प्रसाद शर्मा

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
2-2-18	**आदेश** प्रस्तुत वाद पंकज सिन्हा एवं माया सिन्हा, न्यू बेली रोड, दानापुर, आशियाना टिम्बर, थाना--दानापुर, पटना ने, अंचल अधिकारी, दानापुर के न्यायालय के अतिक्रमण वाद सं0 07/2004--05 में पारित आदेश के विरूद्ध Bihar Public Land Encrochment Act 1956 की धारा--11 के अन्तर्गत दिनांक 07.10.2015 को इस न्यायालय में अतिक्रमण अपील आवेदन दाखिल किया गया। अपीलकर्ता द्वारा कालबाधित आवेदन Limitation Act के धारा--5 के अंतर्गत दाखिल किया गया। अपील आवेदन दिनांक 06.03.2006 का अवलोकन करते हुए, वाद के प्रतिग्रहण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु दिनांक 22.03.2006 को तिथि निर्धारित की गई। दिनांक 22.03.2006 को निम्न न्यायालय का अभिलेख की मांग की गयी। इस अपील वाद में दिनांक--05.08.2011 को उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को सुनकर निम्न आदेश पारित किया गया :-- "Heard the Learned advocate for the petitioner. He argument that the area reflected as encroachment in the enquiry report is not logical. The Learned Counsel for the state admits that there may be some discrepancy in the report but encroachment is a fact. Circle officer is directed to conduct a fresh measurement and submit a report on encroachment. Petitioner can depute his own amin also at the time of measurement. Put upon 24.11.2011" उक्त पारित आदेश अंचलाधिकारी, दानापुर को अनुपालनार्थ इस न्यायालय के ज्ञापांक--2178, दिनांक--14.09.2011 द्वारा भेजा गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक--05.08.2011 को पारित आदेश के अनुपालन में अंचलाधिकारी, दानापुर के स्तर से की गयी कार्रवाई की सूचना इस न्यायालय को अद्यतन अप्राप्त है। साथ ही अपीलार्थी द्वारा भी उक्त आदेश के अनुपालन में हुए कार्रवाई के संदर्भ में किसी प्रकार का तथ्य इस न्यायालय को समर्पित नहीं किया गया है। उक्त के आलोक में दिनांक--05.08.2011 को पारित आदेश के क्रम में आदेश दिया जाता है कि अंचलाधिकारी, दानापुर इस आदेश के प्राप्ति	

के साथ ही विषयांकित भूमि का विधिसम्मत् नापी सुनिश्चित कराते हुए विवाद के बिन्दु का समाधान कर सरकारी भूमि से अविलम्ब विधिसम्मत् तरीके से अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित करेंगे। अपीलार्थी चाहें तो अंचलाधिकारी द्वारा कराये जा रहे नापी के समय अपना अमीन भी रख सकते हैं।

इस प्रकार अपील आवेदन को निष्पादित करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

2/2/18

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

2/2/18

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।